सुविधा | मप्र की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब जबलपुर में शुरू, पशुओं, वन्यजीवों में जहर की पहचान करेगी लैब

अब शिकारियों के बचने के रास्ते बंद

विवेक दुबे

नवभारत,जबलपुर। वन्य जीवों को जहर देकर शिकार करने के बाद अभी तक बचकर निकलने वाले शिकारियों के बचने के रास्ते अब बंद हो गए हैं। इसके लिए जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टॉक्सिकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय के अनुसार यह मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए स्थापित पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब है। लैब में जांच का काम 5 प्रोफेसर्स द्वारा शुरू कर दिया गया है।

लैब में पशु और वन्यजीवों की संदिग्ध मौत के मामलों में विसरा, चारा, पानी और अन्य जैविक नमूनों की जांच की जाएगी। जांच के माध्यम से कीटनाशक, भारी धातु और अन्य विषाक्त पदार्थों की भी पहचान की जा सकेगी। इस लैब की रिपोर्ट का उपयोग वन विभाग और पुलिस द्वारा जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा।'

दूसरे राज्यों में भेजने पड़ते थे सैंपल

जानकारी के अनुसार अब तक जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं या वन्यजीवों की संदिग्ध मौत के बाद जहर की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच के लिए प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता था। नतीजा ये होता था कि रिपोर्ट आने में कई प्रकरणों में बहुत अधिक समय लग जाता था और वन विभाग अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता था। अब नई लैब शुरू होने के बाद विसरा और अन्य नमूनों की वैज्ञानिक जांच स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। साथ ही रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिलेगी।

2 करोड़ 55 लाख का प्रोजेक्ट

लैब के प्रोफेसर श्यामातंक मणि त्रिपाठी ने बताया कि यह लैब मंडी प्रोजेक्ट के तहत कुल 2 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत से तैयार की गई है। इसमें भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये, अत्याधुनिक उपकरणों के लिए 192 लाख रुपये और ऑपरेशनल कार्यों के लिए 13 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने मृतक का बयान निर्णायक नहीं : हाईकोर्ट

- बयान की प्रामाणिकता और साक्ष्य के रूप में अहमियत सबूतों के आधार पर तय होगी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआइआर दर्ज कराने की मांग के चरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने मृतक द्वारा कथित रूप से दिया गया बयान निर्णायक रूप से मृत्यु पूर्व बयान नहीं माना जा सकता। उसकी प्रामाणिकता और साक्ष्य के रूप में अहमियत अन्य साक्ष्यों के आधार पर तय होगी। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की पीठ ने पति की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली पूनम कुशवाहा की याचिका निरस्त कर दी। प्रकरण के अनुसार पूनम कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान खेत से लौटते समय जबलपुर के गोरा बाजार थाने में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी ने उसके पति बंशीलाल कुशवाहा के साथ मारपीट की थी। इसके बाद 20 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता का दावा था कि मृत्यु से पहले बंसीलाल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम लिया था। पत्नी ने अपने आरोप के समर्थन में फोटो, समाचार पत्रों की कतरनें, मर्ग से संबंधित दस्तावेज और 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का उल्लेख किया। मजिस्ट्रेट ने मर्ग जांच में आरोप की पुष्टि नहीं होने पर धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। हालांकि आवेदन को धारा 200 के तहत निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाने की अनुमति दी। सत्र अदालत ने भी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि केवल अनुग्रह राशि दिए जाने से हत्या या पुलिस की भूमिका सिद्ध नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कथित बयान को भी इस स्तर पर निर्णायक मृत्यु पूर्व बयान नहीं माना जा सकता। उसकी विश्वसनीयता और साक्ष्य के रूप में उपयोगिता का परीक्षण उचित कार्यवाही में साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है।

धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को मिली हाईकोर्ट से जमानत

फायरिंग व मारपीट के आरोप में जेल में निरुद्ध बागेश्वर धाम के बाबा वीरेंद्र शास्त्री के भाई को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने उन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया है। छतरपुर जिले के थाना रघुराज नगर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम शास्त्री उर्फ छोटे सरकार ने गाली-गलौज करते हुए लाठी से मारपीट कर गोली मारने के अपराध में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका में कहा गया था राजनीतिक दबाव और पुरानी दुश्मनी के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। वह एक प्रसिद्ध संत का रिश्तेदार है और आवेदक और उसके परिवार की प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने ऐसा किया गया है। आपसी दुश्मनी के कारण शिकायतकर्ता व ग्रामीण जनों ने उन पर हमला किया था। वह घटना की एफआईआर दर्ज करवाने गये थे परंतु नही लिखी गयी। इसके विपरीत उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। वह विगत 15 जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में है।

त्यौहारी सीजन में पमरे से 54 स्पेशल ट्रेनें

जबलपुर। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर बढ़ने वाले यात्री दबाव को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने चार मार्गों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों की 54 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। इनमें जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर और जबलपुर-हरिद्वार-जबलपुर के बीच 5-5 ट्रिप, रीवा-रानी कमलापति-रीवा के बीच 4-4 ट्रिप तथा कटनी-सतना-कटनी के बीच प्रतिदिन 13-13 सेवाएं शामिल हैं। ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। कटनी-सतना अनारक्षित स्पेशल 10 से 22 अक्टूबर तक चलेगी। कटनी से सुबह 5:45 बजे रवाना होकर 8:45 बजे सतना और सतना से शाम 6:30 बजे चलकर रात 8:50 बजे कटनी पहुंचेगी। वहीं रीवा-

रानी कमलापति सुपरफास्ट पूजा स्पेशल 17 व 24 अक्टूबर तथा 7 व 14 नवंबर को चलेगी। रीवा से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी और वापसी में रात 10:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी। इन ट्रेनों के प्रमुख ठहराव सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा रहेंगे।

प्रत्येक गुरुवार को चलेगी निजामुद्दीन स्पेशल

जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और वापसी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी। जबलपुर से रात 8:20 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:25 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। जबलपुर-हरिद्वार स्पेशल 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और वापसी में 23 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार चलेगी। दोनों ट्रेनों के प्रमुख ठहराव कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट सहित निर्धारित स्टेशनों पर रहेंगे।

चेक बाउंस के मामले में 6 माह की सजा

जबलपुर। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 6 माह की सजा से दंडित किया है। जेएमएफसी वंदना सिंह ने आरोपी को एक माह में 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि भुगतान के आदेश जारी किये है। मदन महन निवासी रवि नैय्यर ने सैनिक सोसायटी निवासी मंजीत झारिया के द्वारा दिये गये चेक बाउंस होने के कारण साल 2018 में परिवाद दायर किया था। परिवाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 6 माह की सजा से दंडित करते हुए उक्त आदेश जारी किये। आवेदक की तरफ से अधिवक्ता वाई एच खरे ने पैरवी की।

उपयोग के अभाव में कंडम हो रही 2 करोड़ 20 लाख की पोटहोल

- एक साल से नहीं किया गया है उपयोग
- शहर में जगह जगह मौजूद है खस्ताहाल सड़कें

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम द्वारा लगभग दो करोड़ बीस लाख रुपये की लागत से खरीदी गई पोटहोल रिपेयरिंग मशीन के लंबे समय से उपयोग में नहीं आने को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस पार्षद दल के प्रतिनिधिमंडल ने कारगिल सिविक सेंटर पहुंचकर मशीन का मौके पर निरीक्षण किया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, यह मशीन लगभग एक वर्ष से यहां खड़ी है और उपयोग के अभाव में कंडम होने की स्थिति में पहुंच रही है।

इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने सवाल उठाया कि जब शहर की प्रथम पूज देव पूज्य गणेश पर्व चल है सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं और नागरिक लगातार खराब सड़कों की शिकायत कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपये की लागत से खरीदी गई मशीन को लंबे समय से खड़ा क्यों रखा गया है?

तय होनी चाहिए जवाबदेही

नेताओं ने ये भी कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली और करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के उपयोग को लेकर जनता के सामने जवाबदेही तय होना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान मशीन की स्थिति देखकर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर सत्ता की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और पूरे मामले की जांच तथा मशीन को तत्काल उपयोग में लाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने मांग ये भी की कि जनता के पैसों से खरीदे गए संसाधनों का उपयोग जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें वर्षों तक खड़ा रखकर खराब होने दिया जाए। निरीक्षण के दौरान मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी गुड्डु नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी, पार्षद गुलाम हुसैन, पार्षद प्रमोद पटेल एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्कैन करें | 10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111

*नियम और शर्तें लागू. उल्लिखित ESRPs, SD USD सिंगल सीट वेरिएंट के हैं. स्टंट्स विशेषज्ञों द्वारा, पेशेवर निगरानी में, नियंत्रित और बंद वातावरण में, आम जनता या सार्वजनिक सड़कों से अलग रहकर किए गए हैं. इन स्टंट्स को दोहराने का प्रयास न करें और हमेशा यातायात एवं सुरक्षा नियमों का पालन करें.

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Jabalpur: Nagrath Chowk FRONTIER BAJAJ 7771011270, 7771011280 • **Damoh Naka** SELECT BAJAJ 7880097791 • **Balaghat** SAI BAJAJ 9425822517• **Damoh** MAA LAXMI BAJAJ 8109061441 • **Narsinghpur** SATKAR BAJAJ 7747008720 • **Seoni** FRONTIER A S BAJAJ 9302893612 • **Shahdol** JAYSHREE BAJAJ 7879858023 • **Katni** TARA BAJAJ 9111407700.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57